निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :139/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामफूल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ जाति मीणा, निवासी ग्राम नौनन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. मल्लाराम पुत्र रामेश्वर कुम्हार निवासी ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ।
3. श्रीमती मूलकंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी रानियावास,तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. मुन्नी देवी पत्नी कजोड जाति मीना निवासी ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ।
5. भगवान सहाय पुत्र शम्भू दयाल कुम्हार निवासी राहोरी, तहसील जमवारामगढ।
6. भगवान सहाय पुत्र रामेश्वर कुम्हार निवासी राहोरी, तहसील जमवारामगढ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 38/2022 ब उनवानी जगन्नाथ बनाम मोती व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राहुल कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.09.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण 38/2022 ब उनवानी जगन्नाथ बनाम मोती व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली में नियत तारीख पेशी दिनांक 11.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 गांव

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

में बोल रहे थे कि हमारी अधिकारी से सांठगांठ हो गई है और हम अगली पेशी पर स्टे तुड़वा कर इसकी भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है तथा हमारी अधिकारी से सांठगांठ हो गई है तथा उक्त दिनांक 18.07.2024 को तारीख पेशी को प्रार्थी जब न्यायालय में पहुंच तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 व इनके साथ आये दलाल उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में बैठ कर बातचीत कर रहे थे तथा करीब आधा घन्टा तक चैम्बर में अकेले रहे । प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी भी चैम्बर में घुस गया तब अप्रार्थीगण के हाथ में न्यायालय की फाईल थी, जिसको दिखा कर कह रहे थे कि साहब आपको तो सिर्फ इस स्टे को खारीज करना है। उक्त शब्द स्वयं प्रार्थी ने अपने कानों से सुना व आंखों से देखा है उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण उक्त प्रकरण में बिना प्रार्थी को सुने प्रकरण को खारिज करने पर आमादा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी का विश्वास उठ गया है । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है इसलिए बिना किसी आधार के काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 **RRD 501,** राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 **RRD-18** एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 **RRD (NSU) 61** में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner